संख्या- 9/2021/बी-2-171 /दस-2021-एम61/2019

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2021

विषय- प्रदेश सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के डी.यू.टी.एफ. में अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्तक स्टाम्प शुल्क के डी.यू.टी.एफ. में अन्तरण हेतु अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की धनराशि प्रावधानित है। उक्त प्रावधानित धनराशि में से शासनादेश संख्या-37/2020/बी-2-209/दस-2020-एम 61/2019, दिनांक 24.09.2020 द्वारा रूपये 50.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी है।

2- उपरोक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्तक स्टौम्प शुल्क के डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड.(डी.यू.टी.एफ.) में अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में प्रावधानित धनराशि रूपये 150.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 100.00 करोड़ (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड हेतु भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा में ''यूपीडीयूटीएफ स्टेट नोडल एकाउन्ट'' नाम से खोले गये खाते में रखी जायेगी ।

(2) यह वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन निधि नियमावली 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उददेश्यों के तहत निर्गत की जा रही हैं । अत: उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय पर नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) निधि से स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव निदेशालय द्वारा रखा जायेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निधि का उपयोग उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन निधि नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रबन्ध समिति के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निधि का संचालन तथा प्रबन्धन, नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(6) उक्तानुसार निर्धारित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो, सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष ''2217- शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 9 /2021/बी-2-173(1)/ दस-2021-एम61/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश ।
6- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।